



भाकृअनुप-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान  
अनुसंधान केन्द्र, सैक्टर 27-ए, मध्य मार्ग चण्डीगढ़-160 019

ICAR- Indian Institute of Soil & Water Conservation Sector  
27-A, Madhya Marg, Chandigarh-160 019  
Tel. (O) 0172 - 2659365, Fax : 0172 - 2650783  
Email: soilcons\_chd@yahoo.com website <http://www.cswcrtiweb.org>



पत्रांक 7(7)/2024-25/Store/Chd/

दिनांक: 09.08.2024

### नीलामी सूचना


केन्द्राध्यक्ष, भाकृअनुप-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, सैक्टर 27-ए, मध्य मार्ग चण्डीगढ़ द्वारा निम्नलिखित फलों की नीलामी खुली बोली के माध्यम से दिनांक 30.08.2024 को सुबह 11:00 बजे अनुसंधान प्रक्षेत्र, मनसा देवी पर की जानी निश्चित है। इस अवधि में फलों को तोड़ने का कार्यकाल नीचे दी गई सारणी के अनुसार रहेगा। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे बोली लगाने से पहले किसी भी समय 09:00 से 05:00 बजे तक फलदार पौधों का निरीक्षण संस्थान के अनुसंधान प्रक्षेत्र, मनसा देवी पर आकर कर सकते हैं तथा आंकलन अनुसार खुली बोली में दिनांक 30.08.2024 को भाग ले सकते हैं।

फल की प्रजाति	स्थान का विवरण	वृक्षों की संख्या	Harvesting time
आवला एन.ए.-7	ए-1 प्लॉट सुकेत ब्लॉक 107; बी-2 प्लॉट सुकेत ब्लॉक 62; NATP वाटरशेड 98; वैज्ञानिक भवन 1; प्लांट नर्सरी 2; ट्रेनिंग हॉस्टल 2 तथा साल्ट वाटरशेड 12	284	By the end of February 2025
आवला बनारसी	ए-2 प्लॉट सुकेत ब्लॉक 97 एवं ए-3 प्लॉट सुकेत ब्लॉक 68	165	By the end of February 2025
आवला चकैया	बी-3 प्लॉट सुकेत ब्लॉक 90 (Note: 53 plants of B-4 Plot, Suket Block will be excluded from the auction as these plants will be used for rejuvenation study)	90	By the end of February 2025
आवला देसी	सुकेत ब्लॉक के बाउन्ड्री पर 2; प्लांट नर्सरी 1	3	By the end of February 2025
किन्नु	सुकेत ब्लॉक 50; वैज्ञानिक भवन 3; तथा प्लांट नर्सरी 2	55	By the end of March 2025
अमरुद	साल्ट वाटरशेड 109; NATP वाटरशेड 54; प्रक्षेत्र कार्यालय के नजदीक 21; वैज्ञानिक भवन 5; तथा प्लांट नर्सरी 2	191	By the end of March 2025
बेर	सी-3, सी-4 प्लॉट सुकेत ब्लॉक 105; तथा ई, एफ प्लॉटस सुकेत ब्लॉक 73	178	By 15 April, 2025
बेल	ए-4 प्लॉट सुकेत ब्लॉक	44	By the end of April 2025.
चीकू	सुकेत ब्लॉक	19	By the end of March 2025

## निबंधन एवं शर्तें

1. संस्थान के अनुसंधान फार्म प्रक्षेत्र मनसा देवी पंचकूला पर गठित समिति द्वारा उपरोक्त खुली बोली के माध्यम से नीलामी पूर्ण की जाएगी।
2. इच्छुक बोलीदाता को उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व प्रातः 10:00 बजे से 11:00 बजे तक अपना पंजीयन कराना होगा।
3. बोलीदाता की पंजीयन राशी रु. 2,000/- पंजीयन के समय बोलीदाता को नगद/ डी.डी/बैंकर्स चैक/Posh machine के माध्यम से जो कि Head, CS&WCRTI, RC, Chandigarh के पक्ष में देय हो जमा करानी होगी।
4. बोलीदाता को अपना बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी कोड, बैंक का नाम, अपना पैन नं. व आधार कार्ड की प्रति उपलब्ध करवानी होगी।
5. सफल बोलीदाता को बोली का 25 प्रतिशत भुगतान नगद/डी.डी/बैंकर्स चैक/POS machine/ SBI Collect के माध्यम से जो Head, CS&WCRTI, RC, Chandigarh के पक्ष में देय हो तुरन्त जमा करवाना होगा तथा वकाया 75 प्रतिशत को तीन किस्तों में जमा करवा सकते हैं। पहली किस्त फल तोड़ने से पहले जमा करवानी होगी, उसके तीन माह पश्चात दूसरी किस्त तथा उसके तीन महिनो के बाद तीसरी तथा अन्तिम किस्त जमा करवानी होगी। ऐसा न करने की स्थिति में सफल बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई नीलामी की 25 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा नीलामी निरस्त कर दी जाएगी जिसके लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेवार होगा।
6. सफल बोलीदाता द्वारा लगाए गए कर्मचारियों के पहचान पत्र संस्थान को उपलब्ध करवाने होंगे तथा यदि ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा संस्थान की किसी भी सम्पत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाता है, तब ऐसी स्थिति में नुकसान की पूरी भरपाई ठेकेदार से वसूल की जाएगी।
7. नीलामी स्वीकृत किए जाने के बाद फलों की देख-रेख व चौकीदारी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। पौधों को दवाई इत्यादि (input) तथा पानी केन्द्र की ओर से प्रदान किया जाएगा तथा स्प्रे इत्यादि करवाने हेतु तथा फलों को तोड़ने तथा लेवर का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।
8. प्राकृतिक आपदा से हुआ नुकसान के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
9. फलों को कार्यालय से बाहर ले जाने का समय सुबह 9:30 से 5:00 बजे तक होगा।
10. नीलाम किए गए फलों के अतिरिक्त संस्थान के किसी भी प्रकार के सामान को कार्यालय से बाहर ले जाना व सरकारी सम्पत्ति की क्षति पूर्ण रूप से निशेध होगा। यदि ऐसा पाया गया तो वह सरकारी सम्पत्ति की चोरी मानी जाएगी जिसके लिए संस्थान ठेकेदार के विरुद्ध कानूनी कार्यावाही किए जाने के लिए स्वतंत्र होगा तथा ऐसी स्थिति में केन्द्राध्यक्ष को यह भी शक्ति प्राप्त होगी कि वह तुरन्त प्रभाव से ठेकेदार का नीलामी ठेका रद्द करते हुए ठेके के अन्तर्गत जमा कराई सम्पूर्ण राशि को जब्त कर लिया जाए जिसके लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।
11. ठेकेदार को नीलामी की सभी नियम व शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा। ठेके के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा तथा इस ठेके के सन्दर्भ में जमा कराई गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी।
12. इस नीलामी को स्वीकृत करने/रद्द करने के पूर्ण अधिकार केन्द्राध्यक्ष के पास सुरक्षित होंगे।
13. नीलामी ठेके के सन्दर्भ में यदि ठेकेदार एवं संस्थान के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में उस विवाद का निवारण आपसी बातचीत द्वारा पूर्ण किया जाएगा अगर आपसी बातचीत से उसका निवारण नहीं होता है तब ऐसी स्थिति में विवाद को संस्थान के निदेशक, मुख्यालय देहरादून को विवाद के निवारण हेतु प्रस्ताव भेजा जाएगा तथा संस्थान के निदेशक महोदय का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

14. टेके से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के लिए चण्डीगढ़ न्यायालय ही मान्य होगा।



सहायक प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सहायक प्रशासनिक अधिकारी (भण्डार) भा०कृअनुप०-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून को cpp portal (e-publishing) पर upload करने हेतु।
2. प्रभारीए AKMU Cell, भा०कृअनुप०-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून को Institute Website पर upload करने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड, चण्डीगढ़ कार्यालय/नोटिस बोर्ड, चण्डीगढ़ अनुसंधान प्रक्षेत्र कार्यालय।